

क्रमांक एफ. 4(9)/वित्त/साविलेनि/2026

जयपुर, दिनांक: 24/7/2026

परिपत्र

विषय : IFMS 3.0 पर BOQ Exclusive of GST तथा BOQ Inclusive of GST दोनों प्रकार के प्रावधान उपलब्ध करवाये जाने बाबत।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4 (9)/वित्त/साविलेनि/2026 दिनांक 23.03.2026 द्वारा IFMS 3.0 पर BOQ Exclusive of GST का प्रावधान दिनांक 01.04.2026 से लागू किया गया था।

उपरोक्त व्यवस्था लागू किये जाने में निर्माण विभागों को आ रही व्यवहारिक कठिनाई को मध्यनजर रखते हुए समसंख्यक परिपत्र दिनांक 04.05.2026 द्वारा IFMS 3.0 पर दिनांक 31.07.2026 तक BOQ Exclusive of GST तथा BOQ Inclusive of GST दोनों प्रकार के प्रावधान उपलब्ध रखे जाने हेतु शिथिलन प्रदान किया गया था।

निर्माण विभागों द्वारा पुनः शिथिलन की अवधि बढ़ाने के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि IFMS 3.0 पर दिनांक 31.12.2026 तक BOQ Exclusive of GST तथा BOQ Inclusive of GST दोनों प्रकार के प्रावधान उपलब्ध रखे जायेंगे। यह उल्लेखनीय है कि किसी एक कार्य हेतु एक ही प्रकार की BSR का उपयोग कर Detail estimate एवं तकनीकी स्वीकृति तैयार की जा सकेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया में निर्माण विभागों को किसी प्रकार की कठिनाई आने पर इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक (आईएफएमएस) से सम्पर्क किया जा सकता है।


(महेन्द्र मोहन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय 1, 2, 3, 4 एवं 5) विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
9. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया IFMS 3.0 पर उपरोक्तानुसार प्रावधान करवाने का श्रम करावें।
10. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
11. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
12. कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी समस्त।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, सचिवालय, जयपुर।
14. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी) एन.आई.सी. (ट्रेजरी) वित्त भवन, जयपुर।
15. तकनीकी निदेशक (आई.टी.), एनआईसी (वॉम) वित्त भवन, जयपुर।
16. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
17. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।


संयुक्त शासन सचिव

(PWF&AR -118/2026)